

प्रैयक

एगोपी० सिंह

प्रिशेष सचिव

3040 रासना

सेवा सं.

## १ निटेशक,

## राज्य नगरीय विकास अभियान,

3040, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं शरीदी

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଗ ।

ਲਖਨਕੁ : ਦਿਨਾਂਕ : 11 ਅਗਸਤ, 2015

**विषय** वित्तीय राख 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक द्वाहूल्य वसितियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-706/55ए/10/छ./विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 25 मई, 2015 तथा पत्र संख्या-1586/55ए/10/छ./विविध/मऊ-2012-13, दिनांक 20 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-मऊ की न0पा0परि0 गड़ व न0पा0 धोसी एवं मुहम्मदगाबाद गोहना की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य वस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 14 परियोजनाओं हेतु ₹0 252.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थीत संलग्न तालिका के रत्तम-6 में अंकित धनराशि ₹0 126.005 लाख (रुपये एक करोड़ छब्बीस लाख पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल गहोराद्य निम्नालिखित शर्तोंप्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश रांख्या 32/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/द्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए को जायेगी।
  - प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका छण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रत्यर-318 में वर्णित द्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम रत्न/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम रत्न/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  - उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में द्यव जो जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व मूल्यवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित रामय सीमा में पर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

wh. this 'adverso' in quo

4. उक्त प्रतीकृति कार्य समय सम्बन्धित दूड़ा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। राज्यविभाग दूड़ा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय रो अनुदोषित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. उक्त प्रतीकृति जिस कार्य/मंद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उरी कार्य/मंद में विद्या जायेगा। किसी प्रकार का व्याचरण अनुमत्य नहीं होगा। सामर्थी/अधिकारी का व्यय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत जिस दूड़े प्रतीकृति बैंक/इकाय/एडिप्रिंटर द्वारे में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत प्रतीकृति दूड़े वार आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. उक्त प्रतीकृति जिस कार्य के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का प्रतीकृति विभाग की संसाधन व्याचरण दूड़ा का होगा।
8. स्वीकृत प्रतीकृति का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्रतियोगी/राज्यव्यवस्थाएँ पर शासन द्वारा निर्माण राजनाडेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. उक्त प्रतीकृति व्याचरण सम्बन्धित दूड़ा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त प्रतीकृति राज्यव्यवस्था निर्माण इकाई को अवगुक्त करने से पूर्व यह भौतिक विभाग कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनाओं निर्माता स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा भिन्नी अन्य स्रोत से प्रतीकृति नाम की गई है तथा न ही यह कार्य किरी अन्य कार्य योजना सुरक्षित है, जिससे कि शारीरीय रूप से दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की रिचर्टें में स्वीकृत प्रतीकृति तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।
10. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की दोनोंवृत्तियों/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडामाड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त प्रतीकृति का आहरण निदेशक, संघीय नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ द्वारा राज्यव्यवस्था संविधान विशेष रूपों, नगरीय राजनामार एवं नगरीयी उम्मीदन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहासताकारोपान्त दिया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण को सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अदेश की प्रतीकृति के साथ कोणागार का नाम, वाचार संख्या, तिथि तथा लेखातीर्थक की सूचना एक वर्ष के अंतर्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. इस प्रतीकृति का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ज्ञावय करा दिया जाये और इसके बाद उपयोगीता प्रमाण प्रथम शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्दिष्ट भवानी के बाद अनुपगोनित प्रतीकृति, जारी करने ही एक दूसरे शासन को वापस करनी होगी।
14. दो दोनों चार्जेज (आधिकारिक व्यवहार) की प्रतीकृति वित्त (लेखा) अनुग्राम 2 के शारानाडेश संख्या ए 2-23/प्र-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विरत्त दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जारी किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही प्रतीकृति के सापेक्ष उत्तीर्णी ही प्रतीकृति आहरित की जायेगी, जितारी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपर्युक्त दस्य चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आर्थोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-051-निर्माण-03-मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में रु08ी0 रोड/इण्टरलाकिंग तथा नाली आदि का निर्माण-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्तु।

भवदीय,  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या-73/2015/1438(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकटारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0,20 सरोनुजी नायदू गांव, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. जिलाधिकारी/महायक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, मऊ।
6. वित्त (दस्य-नियंत्रण) अनुआग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुआग 4, 30प्र0 शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मार्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कड़प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आशा से,  
 (एच0पी0 सिंह)  
 विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या 737 2015/1438(1)/69-1-15-36(म0स0-37)/2015, दिनांक // अगस्त,  
2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ५० मे)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय/ नगर पंचायत का नाम।	वस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	प्रथम फिल (50 प्रतिशत) के रूप में रचीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	मङ्ग	न0पा0परि0 मङ्ग	बूनकर कालोनी में पिचरोड से नजीर का मकान होते हुये सुलेमान के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	26.59	13.295
2.	तदेव	तदेव	बूनकर कालोनी में महमूद के मकान से इजहार के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	16.12	8.06
3.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-31 मो0 बलाकीपुरा में जितला मन्दिर के दक्षिणी दीवार के टूटसफाईर से मौजूद अहमद के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	25.50	12.75
4.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-31 मो0 बलाकीपुरा में सुरेन्द्र घर्गी के मकान से ग्राम बरती तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	27.38	13.69
5.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-10 मो0 नवापुरा में भरहू का पूरा, सरकारी ट्रॉफेल और ट्रान्सफार्मर के बीच से याकुब का मकान होते हुये मॉर्सिंग दलाल के आहाता तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	24.72	12.36
6.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-10 मो0 नवापुरा में रामा यादव के मकान से पुसिया तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	39.56	19.78
7.	तदेव	न0पा0 घोसी	वार्ड सं0-08 करीमुदीनपुर दक्षिणी में मरहूम हवीबूललाह के मकान से फहीम के घर तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.23	4.615
8.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-08 करीमुदीनपुर दक्षिणी में गुजन मियां के मकान से इसराईल के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	9.64	4.82
9.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-08 करीमुदीनपुर दक्षिणी में तकलेयार के मकान से फजलेहक के मकान तक कवर्ड नाली एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.43	1.715
10.	तदेव	तदेव	वार्ड सं0-08 करीमुदीनपुर दक्षिणी में रुफिया एनुलहक के मकान से लाठीम के मकान तक कवर्ड नाली एवं	3.43	1.715

			इंपरलाइंग निर्माण कार्य।		
11.	सदैग	सदैव	वाडे स0.09 मदापुर उत्तरी में जफर के मकान से हृषीबुल्लाह के ग्रामान तक कवड़ नाली एवं इंपरलाइंग निर्माण कार्य।	4.15	2.075
12.	सदैव	मो0 मुमनदावाट मो1ना	मो0 जमालपुर में मकु रोड से राजेश गांव के मकान तक इंपरलाइंग एवं नाली निर्माण कार्य।	12.62	6.31
13.	सदैव	सदैव	मो0 जमालपुर में मकु रोड से सरकारी हार्डिंग से चौहान बरती जमालपुर तक कवड़ नाली एवं इंपरलाइंग कार्य।	32.37	16.185
14.	सदैव	सदैव	मो0 गहरपुर मदरसा फैजुल उलूम से दधा तक कवड़ नाली एवं इंपरलाइंग कार्य।	17.27	8.635
	योन			252.01	126.005

(सभ्ये एक करोड़ छद्दीस लाख पॉच सौ माल।)

मा. १११  
(एमओ० सिंह)  
दिशेष संचित।